



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 375]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 2, 2019/अग्रहायण 11, 1941

No. 375]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 2, 2019/AGRAHAYANA 11, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशलय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2019

प्रकरण सं. (ओ.आई.) 22/2019

विषय: थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बसों या लॉरियों में उपयोग किए जाने वाले ट्यूब और/या फ्लैप सहित अथवा रहित रबर के न्यू न्यूमेटिक रेडियल टायर, के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

फा. सं. 6/30/2019-डीजीटीआर.—यतः आटोमोटिव टायर मेन्युफेक्चरर्स एसोशिएशन (जिसे आगे आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष घरेलू उद्योग की ओर से एक आवेदन दायर किया है जिसमें थाइलैंड (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बसों और लारियों के लिए न्यू न्यूमेटिक टायरों (जिसे आगे विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) या संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया है और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया गया है।

विचाराधीन उत्पाद

2. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद "बसों या लॉरियों में उपयोग किए जाने वाले रबर के न्यू न्यूमेटिक रेडियल टायर हैं, जो ट्यूब और/या फ्लैप सहित अथवा रहित" होते हैं तथा 4011 20 10 के तहत वर्गीकरण योग्य हैं।

समान वस्तु

3. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के बीच भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों की दृष्टि से तुलनीय विशेषताएं और दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है और इसलिए नियमावली के अधीन उन्हें "समान वस्तु" माना जाना चाहिए। प्रथम दृष्टया जांच के आधार पर यह नोट किया गया है कि भारत में घटक घरेलू उद्योगों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" माना गया है।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

4. यह आवेदन आटोमोटिव टायर मेन्युफेक्चरर्स एसोशिएशन (एटीएमए) ने अपोलो टायर्स लि., सिएट लि., जे.के. टायर इंडस्ट्रीज लि. और एमआरएफ लि. की ओर से दायर किया है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, घटक घरेलू उत्पादकों के उत्पादन का में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा बनता है। घटक घरेलू उत्पादकों ने यह भी प्रमाणित किया है कि उन्होंने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और न ही वे संबद्ध वस्तु के किसी भी निर्यातक या आयातक से संबंधित हैं। तदनुसार, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और 5(3) के अर्थों के भीतर घटक घरेलू उत्पादकों को घरेलू उद्योग माना गया है।

शामिल देश

5. वर्तमान जांच में शामिल देश थाइलैंड है।

सामान्य मूल्य

6. संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का परिकलन विधिवत रूप से समायोजित और बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ के परिवर्धन के बाद भारत में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है।

निर्यात कीमत

7. आवेदक ने डीजीसीआईएंडएस से प्रकाशित आकड़ों के अनुसार संबद्ध देश से निर्यात कीमत परिकलित की है। समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, संभलाई प्रभार, बैंक प्रभारों, और पत्तन व्ययों के लिए समायोजन किया गया है।

पाटन मार्जिन

8. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर निर्यात कीमत के साथ की गई है जिससे प्रथम दृष्टया संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के संबंध में अत्यधिक पाटन मार्जिन का पता चलता है जिससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

जाँच अवधि

9. वर्तमान जाँच में जाँच की अवधि (जिसे आगे पीओआई भी कहा गया है) अप्रैल 2018 – जून 2019 (15 महीने) की है। तथापि, क्षति जाँच अवधि में 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 और जाँच अवधि शामिल होगी।

क्षति और कारणात्मक संबंध

10. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने पाटित आयातों की समग्र रूप से तथा भारत में भी उत्पादन और खपत की दृष्टि से बढ़ी हुई मात्रा, कीमत कटौती और मूल्य दमन के प्रभाव के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य की जांच प्रथम दृष्टया क्षति के ऊपर उल्लिखित मापदंडों और कथित पाटन के साथ इसके कारणात्मक संबंधी की उपस्थिति को स्थापित करता है।

पाटनरोधी जाँच की शुरुआत

11. प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरुआत को उचित ठहराने के लिए संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। इसलिए प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरुआत करते हैं ताकि पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

सूचना प्रस्तुत करना

12. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों व उपयोगकर्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है।

13. सूचना/अनुरोध निम्नलिखित को प्रस्तुत की जा सकती है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी
व्यापार उपचार महानिदेशालय
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

14. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

समय-सीमा

15. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच की शुरुआत की सूचना देने वाले प्राधिकारी के पत्र की तारीख से 37 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित की सूचना और टिप्पणी दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों के लगाने की आवश्यकता के बारे में या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त

नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

16. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

17. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

18. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

19. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

20. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

21. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत के बारे में संतुष्ट होने और के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

22. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

23. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

भूपिन्दर स. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd December, 2019

Case No. (OI) 22/2019

Subject : Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “New pneumatic radial tyres of rubber for buses and lorries, with or without tubes and/or flaps” originating or exported from Thailand.

F. No. 6/30/2019-DGTR.—Whereas Automotive Tyre Manufacturers Association (hereinafter also referred to as the applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) alleging dumping of new pneumatic radial tyres for buses and lorries (hereinafter referred to as product under consideration (PUC) or subject goods), originating in or exported from Thailand (hereinafter also referred to as the subject country) and requested for imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

Product under consideration

2. The product under consideration for the purpose of present investigation is “New pneumatic radial tyres of rubber for buses and lorries, with or without tubes and/or flaps” classifiable under 4011 20 10.

Like Article

3. The Applicant has claimed that the subject goods produced by the domestic producers and the subject goods imported from the subject country are having comparable characteristics in terms of parameters such as physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods and the two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as ‘like article’ under the Rules. Based on prima facie examination it is noted that the subject goods produced by the constituent domestic producers in India is treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject country.

Domestic Industry & Standing

4. The Application has been filed by Automotive Tyre Manufacturers Association (ATMA) on behalf of Apollo Tyres Ltd., Ceat Ltd., J. K. Tyre Industries Ltd. and MRF Ltd. As per the evidence available on record, the production of the constituent domestic producers accounts for a major proportion in the domestic production of the like article. The constituent domestic producers have also certified that they have not imported the subject goods from the subject country nor are they related to any exporter or importer of the subject goods. Accordingly, the constituent domestic producers are treated as domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

Country Involved

5. The country involved in the present investigation is Thailand.

Normal Value

6. The normal value of subject goods in the subject country has been constructed on the basis of cost of production of domestic industry in India, duly adjusted, and after additions for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.

Export Price

7. The Applicant has computed the export price from subject country as per DGCI&S published data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, handling charges, bank charges, and port expenses.

Dumping Margin

8. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie show significant dumping margin in respect of the subject goods from the subject country, thereby, indicating prima facie that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

Period of Investigation

9. The period of investigation (hereinafter referred to as “POI”) in the present investigation is April, 2018-June, 2019 (15 months). The injury investigation period shall cover the periods 2015-16, 2016-17, 2017-18 and the POI.

Injury & Causal Link

10. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms as also in relation to production and consumption in India, price undercutting, and price suppression effect on the domestic industry. The examination of the evidence furnished by the applicant prima facie establishes the presence of aforementioned parameters of injury and its causal link with alleged dumping.

Initiation of Anti-Dumping Investigation

11. The Authority prima facie finds that there is sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country; and injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exists to justify initiation of an anti-dumping investigation. The Authority therefore initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of Anti-Dumping Rules, 1995, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove injury to the domestic industry.

Submission of Information

12. The known exporters in the subject country, its Government through the Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all relevant information in the form and manner prescribed within time limit set out below.

13. The information/submission may be submitted to:

The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies
Department of Commerce
Ministry of Commerce & Industry
4th Floor, Jeevan Tara Building,
5, Parliament Street, New Delhi-110001

14. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time Limit

15. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry’s application regarding the need to impose or otherwise of anti-dumping measures within 37 days from the date of issue of letter by the authority intimating initiation of the investigation. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

Submission of information on Non-confidential basis

16. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

17. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (2) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

18. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

19. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

20. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

21. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied about the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

22. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

23. In case any interested party refuses access to or does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority